

## डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

ओ020रूल 6-7 जाब्ता दिवानी

१  
२५

जदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम - कुशलगढ़

इजलास सत्यनारायण आचार्य

आर0ए0एस0

मसरू पत्नी स्व0 दोलजी भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा  
बनाम

1. ग्राम पंचायत महुड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत महुड़ा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
2. कमतु पुत्री दोलजी भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

दावा बाबत् : 75 भू-राजस्व अधिनियम

प्रकरण सं0- 1/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है/डिक्री जारी की जाती है कि-

ग्राम चोरवड़ का नामान्तरकरण सं0 682 दिनांक 20.04.2012 निरस्त किया जाता है। तथा ग्राम चोरवड़ की भूमि सर्वे नं0 109 रकबा 0.76, 121 रकबा 2.32, 140 रकबा 1.19, 218 रकबा 0.86, 387 रकबा 1.85, 390 रकबा 1.26, 464 रकबा 0.56, 500 रकबा 1.60 कुल खेत 8 कुल रकबा 10.40 एकड़ मसरू पत्नी स्व0 दोलजी व कमतु पुत्री दोलजी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

मिज .....मुलालिग .....बात .....खर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह ..... फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक..... बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 11.07.2016 को जारी की गई।

(सत्यनारायण आचार्य)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुशलगढ़

मुदई	रूपया पैसा	मुदायलाल	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सवूत		महनताना	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक मिजान मुतफखियख	
नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।			